# मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन–462011
फोन–(0755) 2570431, 2570442 फैक्स : 0755 –2556619
Email :- mpsacs@gmail.com Website :- www. mpsacsb.org


**क्रमांक / एफ 21–11 / आई.सी.टी.सी. / 2017 /** 1005 भोपाल, दिनांक 12.4.17

**प्रति,**

1. समस्त आई.सी.टी.सी. परामर्शदाता / लैब तकनीशियन, मध्यप्रदेश
2. समस्त ए.आर.टी. केंद्र, मध्यप्रदेश

**विषय :– पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं के विस्तार के संबंध में।**

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन,भारत सरकार द्वारा एच.आई.व्ही. संक्रमित माता से बच्चे में होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए Prevention of Parents to Child Transmission (PPTCT) कार्यक्रम संचालित है,जिसके अंतर्गत प्रत्येक संक्रमित गर्भवती महिला / धात्री माता तथा उसके शिशु का जन्म से 18 माह की आयु पूर्ण होने तक फॉलोअप किया जाता है जिसमे माता हेतु ART व शिशु हेतु ए.आर.व्ही. प्रोफायलेक्सिस, EID जाँच एवं CPT का प्रबंधन किया जाना सम्मिलित है।

विगत समीक्षा बैठकों एवं राज्य पी.पी.टी.सी.टी.सलाहकार के केंद्र निरीक्षण में यह पाया गया की आई.सी.टी.सी. सिर्फ उन गर्भवती महिलाओं को पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं में सम्मिलित करते है जो केंद्र में नई संक्रमित पाई गई हो या केंद्र के फॉलोअप में हों ,अपितु उन महिलाओं को भी सेवाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो ART केंद्र पर पंजीक्रत है एवं

1– ऐसी गर्भवती महिलाएं जो पूर्व गर्भावस्था में संक्रमित पाई जाकर पी.पी.टी.सी.टी. सेवाएं ले चुकी हों एवं ART पर रजिस्टर्ड भी हो चुकीं है, और वर्तमान में पुनः गर्भवती है परन्तु आई.सी.टी.सी. के फॉलोअप में नहीं है

2– ऐसी महिलाएं जो पूर्व में जनरल क्लाइंट(15–49 आयुवर्ग) में एच.आई.व्ही. संक्रमित पाई गई जाकर ART पर रजिस्टर्ड हुई हो, परन्तु गर्भवती ना होने के कारण पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं में सम्मिलित नहीं की गई थी ,उनमें से वर्तमान में कोई गर्भवती है परन्तु आई.सी.टी.सी. के फॉलोअप में नहीं है

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त प्रकार की सभी संक्रमित महिलाओं का फॉलोअप कर उनकी गर्भावस्था की वर्तमान स्थिति ज्ञात कर उन्हें तुरंत पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं में सम्मिलित करें जिससे की महिला एवं होने वाले नवजात को समय से उपचार एवं अन्य सेवाएं दी जा सके एवं महिला का किसी अन्य संस्था में होने वाले अप्रत्याशित प्रसव को रोका जा सके। उपरोक्त महिलाओं की रिपोर्टिंग सिम्स एवं PALS सॉफ्टवेयर में भी की जाये।

समस्त ए.आर.टी. केन्द्रों को भी निर्देशित किया जाता है की यदि नियमित फॉलोअप के दौरान कोई भी संक्रमित महिला गर्भवती पाई जाती है तो तत्काल इसकी जानकारी उस आई.सी.टी.सी. केंद्र को प्रदान करें जहाँ महिला की एच.आई.व्ही. जाँच की गई थी एवं जिससे महिला को पी.पी.टी.सी.टी. सेवाओं के अंतर्गत पंजीकृत कर फॉलोअप किया जा सके।

12/04

**(सुफिया फारुकी वली)**
**परियोजना संचालक**
O/C **म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति**

पृ.क्रमांक/एफ 21–11/आई.सी.टी.सी./2017/ 1006 भोपाल, दिनांक 12.4.17

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषितः

1. उप संचालक, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश
4. समस्त ए.आर.टी. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश
5. आई.सी.टी.सी. जिला सुपरवाइजर/डापकू कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट/भोपाल/देवास/इंदौर/हरदा/मंदसौर/पन्ना/रीवा।

12/04

परियोजना संचालक
O/C म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल